



मुख्यालय/Headquarters पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Email: <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u> Website: <u>www.esic.nic.in</u> / <u>www.esic.in</u>

A-33/14/1/1/Dir.Prof.(TF)/DPC(M) Comp. No.: 85056

Date: 27/01/2025

कार्यालय आदेश संख्या 02/2025

विभागीय पदोल्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने शिक्षण उप संवर्ग-दंत चिकित्सा में सातवें वेतन आयोग के वेतनमान लेवल-13 में आचार्य (दंत) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को वेतनमान लेवल-14 में निदेशक आचार्य (दंत) पद पर, दर्शाई गई तिथियों के अनुसार पदोन्नति (डी.ए.सी.पी. योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए है:-

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers in Teaching Sub-Cadre-Dental working as Professor (Dental) in level 13 of pay matrix to the post of Director Professor (Dental) in level 14 of pay matrix (under DACP Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date(s) shown against their names:

Sl.	Name of Medical Officers & Emp. ID	Place of posting in	Recommended date of
No.		ESIC Unit	Promotion to Director Professor
1	Dr. Dwarka Nand Naik Bukya (142023)	ESIC DC-Gulbarga	24/01/2023
2	Dr. Pooja Dudeja (141961)	ESIC DC-Rohini	27/01/2023
3	Dr. Jitin Kharbanda (141908)	ESIC DC-Rohini	27/01/2023
4	Dr. Annu Nanda (159873)	ESIC DC-Rohini	11/02/2023
5	Dr. Archana Sood (159878)	ESIC DC-Rohini	26/02/2023
6	Dr. Sunil Kumar (141964)	ESIC DC-Rohini	29/02/2024
7	Dr. Meenu Mittal (141914)	ESIC DC-Rohini	03/03/2024
8	Dr. Priya Yadav (141873)	ESIC DC-Rohini	03/03/2024
9	Dr. Sarang Sharma (142320)	ESIC DC-Rohini	06/03/2024
10	Dr. Pranav Kapoor (141660)	ESIC DC-Rohini	09/03/2024

It may be noted: -

- 1. शिक्षण उप संवर्ग-दंत चिकित्सा में वे चिकित्सा अधिकारी, जो पदोन्नति की तारीख पर नियमित छुट्टी/ अध्ययन छुट्टी/प्रतिनियुक्ति/बाह्य कार्य इत्यादि पर होने के समय उच्चतर स्केल में पदोन्नत हुए हैं, के मामले में, वास्तविक पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उनके लौटने तक उन्हें कल्पित पदोन्नत किया जाएगा। In the event of a Medical Officer in Teaching Sub Cadre- Dental who is promoted in the higher scale, being on regular leave / study leave / deputation / foreign assignment etc. on the date of promotion, the actual promotion shall take effect from the date she/he assumes charge and notional promotion from the date of promotion.
- चिकित्सा आधिकारी के वर्तमान तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि डी.
 ए.सी.पी. की तिथि पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा आधार/अध्ययन के प्रयोजन के अतिरिक्त

उपभोग की गई असाधारण छुट्टी (यदि कोई) की अवधि को छोड़ कर प्रोफेसर में (शिक्षण उप संवर्ग-दंत चिकित्सा) में 7 वर्षों की सेवा पूरी की जा चुकी है। इसका विवरण क.रा.बी.निगम मुख्यालय को भी सूचित किया जाए।

The controlling officers of the Medical Officers (at the present place of posting) granted DACP shall ensure that the Medical Officer has completed 7 years' service in the grade of Professor (Dental) in Teaching Sub Cadre-Dental after excluding the non-qualifying service period (if any) on account of dies-non and EOL availed other than on Medical Grounds/Study purposes. The details of such cases may also be reported to ESIC Hqrs.

- 3. उपर्युक्त पदोल्लत लिदेशक आचार्य (दंत) का वेतन सामाल्य वेतल लियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत लियत किया जाएगा तथा पदोल्लत अधिकारी पदोल्लति आदेश की तिथि के एक माह के अल्दर वेतल लियतन के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। The pay of the aforesaid Promoted Director Professor (Dental) will be fixed as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and they shall exercise their option for fixation within one month from the date of promotion order.
- 4. यह पदोन्नति समय-समय पर संशोधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारीवृद एवं सेवा की शर्तों) विनियमावली, 2023 में निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होगी। The promotion will be subject to such terms and conditions as laid down in ESI Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- 5. पदोन्नत आचार्य (दंत) की उक्त सूची केवल निदेशक आचार्य (दंत) के पद पर पदोन्नति आदेश है तथा किसी भी मामले में वरिष्ठता सूची नहीं है। The said list of promoted Professors (Dental) is only promotion order to the post of Director Professor (Dental) and not seniority list in any case.
- 6. ज्वाइनिंग रिपोर्ट सभी संबंधितों को एक प्रति के साथ <u>med4-hq@esic.nic.in</u>, <u>med6-hq@esic.nic.in</u> एवं <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u> पर भेजी जायें। Joining Report may be sent to all concerned with a copy to <u>med4-hq@esic.nic.in</u>, <u>med6-hq@esic.nic.in</u> & <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u>.

(राजेश प्रसाद गुसा) सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ) (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

- 1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज।
- 3. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित,क.रा.बी.निगम अस्पताल।
- 4. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI
- 5. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।
- 6. वेबसाइट कंटेट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।